

आदेश

विषय :- पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत पुलिस आदेश एवं स्थाई आदेश के संधारण इत्यादि के संबंध में।

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प पत्र संख्या – 1/सी0 1-13/2019 गृ0आ0 10087/पटना, दिनांक- 25/11/2019 के आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत सभी पुलिस आदेश एवं स्थाई आदेश का संधारण एल-2 प्रशाखा, स्थापना एवं विधि प्रभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2014 के बाद जो पुलिस आदेश निर्गत हुये हैं, उनपर संख्या वर्षवार अंकित की जा रही है, न कि निरंतर क्रमानुसार। साथ ही पुलिस आदेश एवं स्थाई आदेशों को एक ही क्रम में लगातार संख्या आवंटित की जा रही है। यह उचित नहीं है। अतः पुलिस आदेश एवं स्थाई आदेशों के समुचित संधारण हेतु निम्न निदेश निर्गत किये जाते हैं :-

2. पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्गत आदेश जिनके प्रारूप पर राज्य सरकार की सहमति/अनुमोदन प्राप्त है, हीं पुलिस आदेश के रूप में निर्गत किये जायेंगे। आदेश के अंत में यह अवश्य अंकित किया जायेगा कि किस संचिका में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।


पुलिस महानिदेशक द्वारा अथवा उनके अनुमोदन से निर्गत अन्य आदेश स्थाई आदेश के रूप में निर्गत किये जा सकते हैं। यह निर्णय सम्बद्ध प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

3. वर्ष- 2014 के बाद निर्गत निम्न पुलिस आदेशों की संख्या को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

क्रमांक	पूर्व का पुलिस आदेश संख्या	संशोधित पुलिस आदेश संख्या
1.	2 / 17	310 / 2017
2.	3 / 17	311 / 2017
3.	2 / 20	312 / 2020

4. भविष्य में निर्गत होने वाले पुलिस आदेशों की संख्या भी निरंतर कम में बढ़ेगी।
5. स्थाई आदेशों की संख्या का वार्षिक कम होगा अर्थात् प्रत्येक वर्ष यह संख्या 1 से प्रारंभ होगी यथा – 1/20, 2/20 1/21, 2/21..... इत्यादि।
6. पुलिस आदेशों के लिए L-2 प्रशाखा में पृथक गार्ड फाईल संधारित की जायेगी।
7. स्थाई आदेशों के लिए प्रभागवार अलग-अलग गार्ड फाईल संधारित की जायेगी।
8. सभी पुलिस आदेशों को बिहार पुलिस की वेबसाईट पर निर्धारित स्थल पर अपलोड किया जायेगा। स्थाई आदेशों को भी बिहार पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार,


20/5/20
(अमित कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था),


पत्र संख्या एल-02/52-24-01-2020/.....101.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

पटना, दिनांक- 21.05.2020

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस अधीक्षक एवं उनसे समकक्ष/वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
- ✓ 2. आई.टी. मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अग्रतर कियार्थ।


20/5/20

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था),
बिहार, पटना।